सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः— 15.09.2025

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 83

1. मो. साकिब पुत्र मो. शरीफ जाति व्यापारी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू हाल निवासी राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मो. इरफान पुत्र अब्दुल खालिक जाति कसाई निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रेहान पुत्र अब्दुल खालिक जाति कसाई निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. अफरीन पुत्र अब्दुल खालिक जाति कसाई निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मासूम पत्नि अब्दुल खालिक जाति कसाई निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. अफरा बानो नाबालिग उम्र 12 वर्ष पुत्री अब्दुल खालिक जरिये संरक्षिका माता मासूम पत्नि अब्दुल खालिक जाति कसाई निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. सतपाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. मो. लतीफ पुत्र अकबर व्योंपारी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. राबिया पत्नि मो. सदीक निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
10. उप पंजीयक चूरू (राज.)
11. कोशर बानो पुत्री स्व. नजमा पुत्री स्व. याकुब उर्फ अकबर निवासी घांघू
12. सना पुत्री स्व. नजमा पुत्री स्व. याकुब उर्फ अकबर निवासी घांघू

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री ललित गौतम
अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 6:— श्री सुरेन्द्र राहड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

स्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि यह प्रार्थना—पत्र

प्रार्थी मो. साकिब द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध कृषि भूमि खसरा संख्या 673 (रकबा 3.9077 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 766 (रकबा 2.5293 हैक्टेयर), स्थित रोही ग्राम घांघू के संबंध में प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी का मुख्य कथन है कि उसके नाना याकुब उर्फ अकबर की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में उसकी माता नजमा का नाम जानबूझकर छुपाया गया और अब अप्रार्थीगण हिस्सा अधिक दर्शाकर भूमि विक्रय (बेनामा दिनांक 11.06.2025) कर रहे हैं ।

2. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 7, 8, 11, 12 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ता 6 की ओर निम्नानुसार जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गयाः–

1. अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि वादगत कृषि भूमि याकुब उर्फ अकबर के नाम दर्ज थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में उनकी पत्नी जेबुनिशा एवं पुत्रों (अब्दुल खालिक व लतीफ) के नाम नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज हुआ । अप्रार्थीगण का मुख्य तर्क है कि प्रार्थी की माता नजमा ने अपने संपूर्ण जीवनकाल में इस नामान्तकरण या सह–खातेदारी के संबंध में कभी कोई उज–एतराज (आपत्ति) प्रकट नहीं किया, जिससे उनकी मौन सहमति प्रमाणित होती है ।
2. अप्रार्थी संख्या 06 सतपाल ने विशेष रूप से यह अंकन किया है कि वह वादगत भूमि के 1/3 हिस्से का साधिकार खातेदार काश्तकार है । मौके पर उसका भौतिक एवं वास्तविक कब्जा चला आ रहा है, जहाँ उसने सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है तथा रिहायश (निवास) हेतु एक टिन शेड भी बना रखा है ।
3. अप्रार्थीगण द्वारा यह अंकित किया गया है कि मौके पर वर्तमान में सरसों, जौ एवं गेहूँ की फसल काश्त की हुई है । उन्होंने तर्क दिया कि प्रार्थी घांघू का निवासी न होकर राजगढ़ का निवासी है और उसका मौके पर कभी कोई कब्जा या दखल नहीं रहा है । विधिक आपत्ति एवं बेनामारू अप्रार्थीगण ने दलील दी है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 ने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1/3 हिस्से का बेनामा (विक्रय–पत्र) दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 06 सतपाल के पक्ष में निष्पादित किया है । चूंकि यह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है और प्रार्थी ने इसे निरस्त कराने का कोई अनुतोष (राहत) नहीं चाहा है, अतः मात्र स्थगन के माध्यम से खातेदार के विधिक अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता ।
4. अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि इस प्रकरण के तथ्यों के समान ही एक अन्य वाद (राबीया बनाम मासूम आदि) पूर्व में ही न्यायालय में जेरकार (लंबित) है । यदि इस स्तर पर काबिज खातेदार को वर्जित किया जाता है, तो उसे घोर असुविधा और अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जबकि प्रार्थी का कब्जा न होने के कारण उसे कोई विधिक क्षति नहीं होगी ।

Signature Not Verified

5. जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली बह[illegible] की जाकर उभय पक्षकारान की सीधे बहस सुनी गई।

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने [illegible] कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी के नाना याकुब उर्फ अकबर की पैतृक संपत्ति है । [illegible] उर्फ अकबर की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी की माता नजमा विधिक वारिस होने के नाते 1/5 हिस्से की पूर्ण अधिकारीणी थी । अधिवक्ता ने विधिक दलील दी कि राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर जानबूझकर नजमा

का नाम रिकॉर्ड से छुपाया गया और केवल पुत्रों व पत्नी के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया । वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा अपने विधिक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय (बेनामा दिनांक 11.06.2025) अप्रार्थी संख्या 6 सतपाल के पक्ष में कर दिया गया है । अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक सह–खातेदार 'इंच–इंच' का हिस्सेदार होता है, अतः जब तक प्रार्थी का हिस्सा घोषित न हो जावे, तब तक रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे, अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय विधिक क्षति होगी ।

- अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 ता 6 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी की माता नजमा ने अपने संपूर्ण जीवनकाल में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण के विरुद्ध कभी कोई उज–एतराज नहीं किया । सन् 2020 में नजमा के देहान्त के पश्चात प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आधारहीन वाद लाया गया है । अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी घांघू का निवासी न होकर राजगढ़ का स्थाई निवासी है । मौके पर अप्रार्थी संख्या 06 सतपाल का प्रभावी भौतिक कब्जा है, जहाँ उसने सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है और रहने हेतु टिन शेड बना रखा है । वर्तमान में मौके पर फसल बोई हुई है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जो पक्षकार न तो राजस्व रिकॉर्ड का खातेदार है और न ही मौके पर काश्तकार है, वह काबिज खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा पाने का विधिक अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे ।

6. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उभय पक्षकारान की बहस का परिशीलन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के विधिक सिद्धांतों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में विवेचना निम्न प्रकार हैः–

- प्रथम दृष्टया मामला एवं कब्जे की स्थितिः पत्रावली के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मूलतः याकुब उर्फ अकबर के नाम दर्ज थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जेबुनिशा एवं पुत्रों (अब्दुल खालिक व लतीफ) के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। प्रार्थी का यह तर्क कि उसकी माता नजमा का नाम वारिसान में जानबूझकर छुपाया गया, साक्ष्य का विषय है, किन्तु वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी या उसकी माता का नाम दर्ज नहीं है। विधिक दृष्टिकोण से, निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रभावी भौतिक कब्जा एक अनिवार्य शर्त है। प्रार्थी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह राजगढ़ का स्थाई निवासी है। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 06 सतपाल ने विशेष कथन एवं शपथ–पत्र के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि वह वादगत भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार है और मौके पर उसका पूर्णतः भौतिक कब्जा काश्त है। सतपाल द्वारा मौके पर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का निर्माण और रिहायश हेतु टिन शेड बनाया जाना उसके प्रभावी कब्जे को पुष्ट करता है। स्थापित विधिक सिद्धांत है कि जो पक्षकार कब्जे में नहीं है, वह उस पक्षकार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त [illegible] सकता जो साधिकार मौके पर काबिज है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case) स्थापित नहीं होता है।
- सुविधा का संतुलनः न्यायालय को यह [illegible] कि निषेधाज्ञा जारी करने या न करने से किस पक्ष को अधिक असुविधा [illegible]। अप्रार्थी सतपाल ने मौके पर फसल काश्त कर रखी है और कृषि सुधार हेतु पर्याप्त निवेश किया है। यदि इस स्तर पर काबिज खातेदार को वर्जित किया जाता है, तो उसे अपने कृषि प्रबंधन और किसान क्रेडिट कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

जैसे वित्तीय लाभों से वंचित होना पड़ेगा, जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। चूंकि प्रार्थी मौके पर काश्तकार नहीं है, अतः उसे वर्जित न करने से कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

- अपूर्णीय क्षति : प्रार्थी का तर्क है कि भूमि हस्तांतरण से उसे क्षति होगी, परन्तु विधिक स्थिति यह है कि किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण 'वाद लंबित' के सिद्धांत के अधीन होता है। यदि प्रार्थी भविष्य में अपना हिस्सा सिद्ध कर देता है, तो उसे विभाजन के माध्यम से राहत मिल सकती है। इसके विपरीत, यदि काबिज खातेदार (सतपाल) को अपनी फसल की सार–संभाल या कृषि ऋण लेने से रोका जाता है, तो उसे होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करना असंभव होगा। प्रार्थी वादगत भूमि का न तो रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही मौके पर काश्तकार, अतः प्रार्थना–पत्र खारिज होने से उसे कोई 'अपूर्णीय विधिक क्षति' नहीं पहुँचती है।

7. अतः इस संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता हैः–

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपर्युक्त कारणों के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 06.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested